न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 23/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/23)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. जसविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. जीत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. रविन्द्र सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजेन्द्र सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।	1. अवतार सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. श्रवण सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरदयाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 4. जसपाल सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 5. नसीब कौर पुत्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 6. बन्ता सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 7. रणजीत कौर पुत्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 8. रणजीत सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 9. सुखदेव कौर पुत्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 15.02.2024

उपस्थित: 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादीगण
2.श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 9

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

—निर्णय— **दिनांक : 17.02.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 67/57 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 53/24 की कुल 8.778 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि में दादी संख्या 1 के नाम 3.446 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 के नाम 1.343 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 0.011 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 0.005 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक के नाम 0.011 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 0.006 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 9 के नाम 0.011 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण एंव प्रतिवादीगण की अन्य चको में भी कृषि भूमि है तथा उक्त वर्णित समस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा घरू बंटवारानामा के आधार पर उनके नाम दर्ज भूमि वादीगण के हक में छोडी हुई है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज कुल 0.088 हैक्टेयर भूमि के वादीगण मालिक हो चुके है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कई बार उनके नाम दर्ज आराजी को वादीगण के नाम करवाने हेतु मौखिक तकाजा किया गया है, तो वे हर बार टाल–मटोल करते आ रहे है। आज से दो रोज पूर्व वादीगण पुनः प्रतिवादीगण से मिले तथा प्रतिवादीगण को कहा कि वे अपने नाम दर्ज भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवा देवें तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 67/57 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 53/24 की कुल 8.778 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 0.011 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 0.005 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक के नाम 0.011 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 0.006 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 9 के नाम 0.011 हैक्टेयर भूमि कुल 0.088 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 219 दिनांक 29.01.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 67/57 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 53/24 की कुल 8.778 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 1 ता 4 का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चल रहा है। मौके पर कोई वाद–विवाद नहीं है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 67/57 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 67/57 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 53/24 की कुल 8.778 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज कुल 0.088 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 67/57 के मुरब्बा नम्बर 17, 36, 53/24 की कुल 8.778 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 1 ता 4 का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चल रहा है। मौके पर कोई वाद–विवाद नहीं है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में वादीगण के द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई भी प्रावधन नही है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जसविन्द्र सिंह आदि बनाम अवतार सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए
मुकदमा नम्बर **23/2024**
निर्णय दिनांक :- 17.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 17.02.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**02**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्री करणपुर (श्री गंगानगर) *
सत्यमेव जयते